छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 4432 /1996

याचिकाकर्ता :- विद्या शंकर तिवारी , उम्र
लगभग ....वर्ष
पिता श्री बी.पी.तिवारी,
सहायक शिक्षक, नगर पालिका
उच्चतर माध्यमिक शाला,
धमतरी जिला-रायपुर, म.प्र.
(अब छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा
सचिव स्कूल शिक्षा, वल्लभ
भवन, भोपाल (अब छत्तीसगढ
राज्य, मंत्रालय रायपुर).
2. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
म.प्र. रायपुर संभाग,
रायपुर .
3.मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, धमतरी,
जिला-रायपुर म.प्र. (अब छ.ग.)
4. आवासीय वरिष्ठ ,लेखापरीक्षक,
स्थानीय कोष, संपरीक्षा
नगरपालिका परिषद, धमतरी,
जिला रायपुर म.प्र. (अब छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ : माननीय न्यायाधीश श्री सतीश के. अग्निहोत्री

याचिकाकर्ता की ओर से श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता
उत्तरवादीगण क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से श्री पंकज श्रीवास्तव, पेनल अधिवक्ता
उत्तरवादीगण क्रमांक 3 एवं 4 की ओर से श्री यशवंत ठाकुर, अधिवक्ता

मौखिक आदेश
(23 दिसंबर 2005)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश माननीय न्यायाधीश श्री सतीश के.अग्निहोत्री द्वारा पारित किया गया ।

1. सुना गया ।
2. याचिकाकर्ता को दिनांक 25/08/1980 (अनुलग्नक पी/3) के आदेश के द्वारा चपरासी (भृत्य) के पद पर ₹ 125-150 के वेतनमान में दो वर्षो की परिवीक्षा अवधि के लिये नियुक्त किया गया था। दिनांक 19/2/1983 (अनुलग्नक पी/4) के आदेश के माध्यम से सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात याचिकाकर्ता को चपरासी (भृत्य) के पद पर स्थायीकरण प्रदान की गई। दिनांक 15/01/1990 (अनुलग्नक पी/5) के आदेश के द्वारा उत्तरवादी क्रमांक -3 ने जिला चयन समिति की दिनांक 29/12/1989 (अनुलग्नक पी/5) की अनुशंसा के अनुसार याचिकाकर्ता को सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला

सहायक) के पद पर ₹ 975–1650 (975–25 –1000–30–1210–40–1450–50–1650) के वेतनमान में नियुक्त किया गया। दिनांक 16-9-1992 (अनुलग्नक पी/6) के आदेश द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 3 ने याचिकाकर्ता की सेवाए सहायक शिक्षक के पद पर स्थाई कर दी । जिसके अनुसार याचिकाकर्ता को ₹ 1200-2040 के वेतनमान के अनुसार वेतन मिलना प्रारंभ हुआ।

3. लगभग 4 वर्षो के पश्चात याचिकाकर्ता को दिनांक 17-05-1996 (अनुलग्नक पी /1) को उत्तरवादी क्रमांक -4 द्वारा एक आक्षेपित सूचना जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता को सहायक शिक्षक के वेतनमान ₹ 1200-2040 के आधार पर अधिक राशि दी गयी है, जबकि याचिकाकर्ता केवल प्रयोगशाला सहायक के ₹ 950-1530 के वेतनमान के लिये पात्र था।

4. श्री अवध त्रिपाठी, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 15/1/1990 के आदेश के माध्यम से सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था, जो कि जिला चयन समिति के संस्तुति के आधार पर की गयी थी। तत्पश्चात उत्तरवादी क्रमांक –3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/9/1992 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को दिनांक 16/1/1990 से सहायक शिक्षक के पद पर स्थाई कर दिया गया । स्वीकृत रूप से सहायक शिक्षक का वेतनमान ₹ 1200-2040 था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा उसे प्रयोगशाला सहायक मानते हुये आक्षेपित आदेश पारित किया गया है । आगे यह भी तर्क दिया गया कि उत्तरवादी क्रमांक- 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/1/1990 एवं 16/1/1992 असंदिग्ध एवं सुस्पष्ट है तथा दोनो आदेशो में किसी प्रकार की कोई अस्पष्टता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. श्री यशवंत ठाकुर, उत्तरवादी क्रमांक–3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वस्तुत: याचिकाकर्ता की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर किये जाने की संस्तुति की गई थी, किन्तु दिनांक 15–1–1990 का आदेश "सहायक शिक्षक" (प्रयोशाला सहायक) को दर्शाता है और वेतनमान भी ₹ 975-1650 निर्धारित किया गया था। उन्होने दिनांक 29/12/1989 की जिला चयन समिति की संस्तुति(अनुलग्नक आर -3/2) का संदर्भ दिया, जिसमें यह उल्लेख है, कि याचिकाकर्ता को प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि दिनांक 15/1/1990 एवं 16/9/1992 के आदेश अनजाने में त्रुटिवश पारित कर दिये गये थे। जॉच किये जाने पर, विद्वान अधिवक्ता ने सूचित किया कि उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं की गई है, जिसने दिनांक 15/1/1990 और 16/9/1992 के आदेश पारित किए थे, जिससे याचिकाकर्ता को पदोन्नत किया गया था और सहायक शिक्षक के पद पर स्थाई किया गया था और तदनुसार सहायक शिक्षक का वेतनमान दिया गया था। इसके बाद यह तर्क दिया गया कि स्कूल के स्टाफिंग पैटर्न(कर्मचारी संरचना) में सहायक शिक्षक का कोई पद नहीं था।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने तथा याचिका एवं जवाब के साथ संलग्न अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 15/1/1990 के आदेश के तहत सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला सहायक) के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता को दिनांक 16/9/1992 के आदेश द्वारा सहायक शिक्षक के पद पर स्थाई किया गया था। याचिकाकर्ता ने सहायक शिक्षक के रूप में कार्य किया और उन्हें सहायक शिक्षक का वेतन भी प्रदान किया गया, जिसे उत्तरवादीगणों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी विवादित नहीं किया गया है। अन्यथा भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भी पालन नही किया गया है। याचिकाकर्ता ने

सदभावनापूर्वक पद स्वीकार किया था और उत्तरवादी क्रमांक -3 द्वारा पारित असंदिग्ध और सुस्पस्ट आदेशो दिनांक 15/1/1990 और 16/1/1992 के आधार पर वेतन प्राप्त किया था। याचिकाकर्ता ने शिक्षक का पद प्राप्त करने और तदानुसार वेतन प्राप्त करने के लिये कोई भी गलत बयानी नहीं की थी। यदि कोई गलती हुई थी, तो उत तरवादी क्रमांक -3 द्वारा भी यही गलती की गई थी। उत्तरवादी/नियोक्ता की गलती के लिए, याचिकाकर्ता को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना दंडित नहीं किया जा सकता था, याचिकाकर्ता ने मामले के तथ्यों के साथ स्वयं को समायोजित किया था और उस धन का उपयोग किया था ,जो विधिक रूप से और विधिवत भुगतान किया गया था। दिनांक 17/5/1996 के आक्षेपित आदेश को पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था, और इस तरह से यह आदेश अयुक्तियुक्त और निरस्त किये जाने योग्य है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने साहिबराम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1995 सप.(1) एस.सी.सी 18) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उद्धृत किया है। जिसमें यह अभिनिर्धारित गया था कि "स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यताए नहीं है । ऐसे में याचिकाकर्ता छूट के लाभ का हकदार नहीं होगा । प्रधानाचार्य ने उसे छूट प्रदान करने मे त्रुटि की है। छूट की तिथि से याचिकाकर्ता को संशोधित वेतनमान पर वेतन दिया गया। हालांकि, यह अपीलार्थी द्वारा किए गए किसी भी गलत बयानी के कारण नहीं है कि उच्च वेतनमान का लाभ उसे दिया गया था, लेकिन प्रधानाचार्य द्वारा किए गए गलत विश्लेषण के कारण, अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इन परिस्थितियों में अब तक भुगतान की गयी राशि की वसूली याचिकाकर्ता से नहीं की जा सकती है।"

8. उपरोक्त वर्णित कारणों और मामले की परिस्थितियो के आधार पर याचिका स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश दिनांक 17/5/1996 (अनुलग्नक पी/1) अभिखंडित किया जाता है । वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर /-
सतीश के.अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद , पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By : अजय कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता